रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 14, 2006/श्रावण 23, 1928

No. 371] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 14, 2006/SRAVANA 23, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2006

सा.का.नि. 480(अ).— केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवाओं की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से अधिनियम की धारा 83 के अधीन गठित मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों का, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके क्रमशः है ।

3. **पद और गोपनीयता की शपथ** - आयोग का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व विद्युत मंत्रालय (संघ सरकार) के भारसाधक मंत्री के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ प्रतिज्ञापित करेगा और पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित प्रारूप में दिलाई जाएगी,-

गोपनीयता की शपथ

मैं ..... ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब

2500 GI/2006

के सिवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।

संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ और प्रतिज्ञान

मैं ..... जो मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य नियुक्त हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्त्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा ।

4. वेतन - सदस्य प्रतिमास 22,400-525-24500रू. का वेतन प्राप्त करेगा :

परंतु यदि सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति,-

(क) संघ सरकार से, जिसके अंतर्गत रेल, रक्षा, डाक और संसूचना भी है ; या

(ख) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से ; या

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्थानीय निकाय, स्वशासी निकाय जैसे विश्वविद्यालय या अर्धसरकारी संगठन जैसे पत्तन न्यास से ;

पेंशन प्राप्त करता है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से उसके द्वारा आहरित पेंशन की कुल रकम को घटा दिया जाएगा [जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (पूनःनियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 में उदाहरण दिया गया है] :

परंतु यह और भी कि सदस्य वेतन के ऐसे नियतन के पूर्व अपने मूल वेतन पर अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता - सदस्य केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी जो इनके समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहा है, को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा ।

6. छुट्टी - सदस्य सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए तीस दिन की उपार्जित छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी के दौरान छुट्टी के वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 के उपबंधों के अधीन शासित होगा ।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी - अध्यक्ष की दशा में उस राज्य का भारसाधक मंत्री जिसका वह आयोग में प्रतिनिधित्व करता है और सदस्य की दशा में अध्यक्ष छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा ।

8. भविष्य निधि - सदस्य अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और साधारण भविष्य निधि नियम (केन्द्रीय सेवा) 1960 के उपबंधों के अधीन अंशदान करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होगा । आयोग में की गई सेवा के लिए कोई पेंशन या उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

9. यात्रा भत्ता - (1) सदस्य भारत के भीतर दौरा करते समय या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए स्वयं और कुटुम्ब द्वारा की गई यात्रा या आयोग में पदावधि के पर्यवसान पर अपने कुटुम्ब के साथ अपने गृह नगर को की गई यात्रा सम्मिलित है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और निजी समान के परिवहन के लिए उसी मापमान और उन्हीं दरों पर हकदार होंगे जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को लागू होती हैं ।

(2) सदस्य द्वारा किए जाने वाले विदेशी दौरों के लिए उस सरकार का, जिसका वह आयोग में प्रतिनिधित्व करता है, पूर्व अनुमोदन और केन्द्रीय सरकार की अनापत्ति अपेक्षित होगी :

परंतु विदेशी दौरे की अवधि के दौरान दैनिक भत्ता और होटल आवास व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेशों के जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले समूह 'क' के अधिकारी को लागू होते हैं और समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आर्थिक अनुदेशों या अन्य अनुदेशों के अनुरूप होगी ।

10. छुट्टी यात्रा रियायत - सदस्य उसी वेतनमान और उन्हीं दरों पर जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारियों को लागू होते हैं, छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा ।

11. आवास - (1) सदस्य मिजोरम सरकार के सन्नियमों के अनुसार निवासीय आवास का हकदार होगा :

परंतु ऐसे आवास के लिए जो सदस्य की हकदारी के अनुसार और उसके भीतर है, मानक अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के आइजॉल में तैनात अधिकारी की दशा में है ।

(2) यदि मिजोरम सरकार किसी सदस्य को निवासीय आवास उपलब्ध नहीं कराती है तो उसे ऐसे गृह किराया भत्ते का दावा करने का विकल्प होगा जो आइजॉल में तैनात केन्द्रीय सरकार के उसी स्तर के समूह 'क' के अधिकारियों को अनुज्ञेय है ।

12. परिवहन - सदस्य को सरकारी यान का उपयोग करने अथवा ऐसी धनराशि की प्रतिपूर्ति का जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी के संबंध में समय-समय पर उसको अपनी निजी कार का उपयोग करने और उसके रख-रखाव के लिए नियत किया जाए, विकल्प अनुज्ञात होगा ।

13. चिकित्सीय उपचार - सदस्य ऐसे चिकित्सीय प्रतिपूर्ति और सुविधा का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय हों ।

14. टेलीफोन सुविधा, सरकारी अधिवेशन और मनोरंजन व्यय - सदस्य ऐसी टेलीफोन सुविधा सरकारी अधिवेशनों और मनोरंजन व्ययों के लिए पात्र होगा जो समान वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय है ।

15. सेवा की अन्य शर्तें - सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें जिनकी बाबत इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, वे होंगी जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिकारी को अनुज्ञेय हैं ।

[फा. सं. 47/2/2004-आरएंडआर (पीटी. II)]

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2006

G.S.R. 480(E).— In exercise of the powers conferred by section 89 of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement. – (1)** These rules may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram (Salaries, Allowances and other Conditions of Service of Chairperson and Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Electricity Act 2003;
(b) "Commission" means the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram constituted under section 83 of the Act;
(c) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Oath of Office and secrecy. –** A Member of the Commission shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and secrecy before the Minister in-charge of the Ministry of Power (Union Government) and the oath of office and secrecy shall be administered in the following form:-

Oath of secrecy

I,_____, do swear in the name of God and solemnly affirm that I shall not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as the Chairperson or Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram except as may be required for the due discharge of my duties as such Chairperson or Member.

Oath and affirmation of allegiance to Constitution

I, _____, having been appointed Member of the Joint Electricity Regulatory Commission for the States of Manipur and Mizoram, do swear in the name of God and do solemnly affirm that I shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I shall uphold the sovereignty and integrity of India, that I shall duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgement perform the duties of my office without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

4. Pay. - A Member shall be entitled to receive pay in the scale of pay of Rs.22400-525-24500 per month.

Provided that In case a person appointed as the Member is in receipt of pension from;

(a) Union Government including Railways, Defence, Posts and Telecommunication; or
(b) State Government or Union Territory Administration; or
(c) Public Sector Undertaking, Local Body, Autonomous Body like University or Semi-Government Organization like Port Trust;

the pay of such person shall be reduced by the gross amount of pension [as illustrated in the Central Civil Services (fixation of pay of re-employed pensioners) Orders, 1986] drawn by him:

Provided further that a Member shall be entitled to receive admissible allowances on the original basic pay before such fixation of pay.

5. Dearness allowance and city compensatory allowance. - A Member shall be entitled to receive dearness allowances and city compensatory allowance, and other allowances at the rate admissible to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

6. Leave. – A Member shall be entitled to 30 days of earned leave for every year of service and the payment of leave salary, during leave, shall be governed under the provisions of rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

7. Leave sanctioning authority. – In the case of the Chairperson, the Minister-in-charge of the State Government which he represents in the Commission, and in the case of a Member, the Chairperson, shall be the leave sanctioning authority.

2500 GI/06-2

8. Provident fund. – A Member shall be governed by the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962 and no option to subscribe under the provisions of the General Provident Fund Rules (Central Services), 1960 shall be available. No pension or gratuity shall be admissible for service rendered in the Commission.

9. Travelling allowances. -(1) A Member while on tour within India or on transfer (including the journey undertaken by self and family to join the Commission or on the expiry of term with the Commission to proceed to his home town with family) shall be entitled to the journey allowance, daily allowance and transportation of personal effects at the same scales and at the same rates as are applicable to a Group 'A' Officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

(2) Foreign tours to be undertaken by a Member shall require prior approval of the State Government which he represents in the Commission and necessary clearances of the Central Government.

Provided that the daily allowance and provision of hotel accommodation during the period of tour abroad shall be in accordance with such orders of the Central Government as are applicable to Group "A" officers of the Central Government drawing an equivalent pay and as per the economy instructions or other instructions issued by the Ministry of Finance from time to time.

10. Leave travel concession. - A Member shall be entitled to leave travel concession at the same scale and at the same rate as admissible to group 'A' officers of the Central Government drawing an equivalent pay.

11. Accommodation. – (1) A Member shall be entitled for residential accommodation as per norms of Government of Mizoram.

Provided that for such accommodation which is according to and within the entitlement of the Member the standard licence fee shall be the same as in the case of a Group "A" officer of similar status of the Central Government posted at Aizwal.

(2) In case Government of Mizoram do not provide residential accommodation to a Member, he shall have the option of claiming house rent allowance as admissible to Group A officers of similar status of the Central Government posted at Aizwal.

12. Transport. – A Member shall be allowed the option to make use of an official vehicle or reimbursement of such amount as may be fixed by the Central Government from time to time in respect of a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay for the use and maintenance of his personal car.

13. Medical treatment. – A Member shall be entitled to medical reimbursement and facility as admissible to a Group 'A' officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

14. Telephone facility, official meeting and entertainment expenses. – A Member shall be eligible for telephone facilities, official meetings and entertainment expenses as admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

15. Other conditions of services. – Other conditions of service of a Member, with respect to which no express provision has been made in these rules, shall be such as are admissible to a Group "A" officer of the Central Government drawing an equivalent pay.

[F. No. 47/2/2004-R&R (Pt. II)]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.